


# भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

# GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CULTURE NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY



चौरासी गुंबद—लोधी शाह बादशाह का मकबरा, जालौन, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप—विधि

Heritage Bye-laws for Chaurasi Tomb of Lodhi Sah Badshah Jalaun, Uttar Pradesh

	विषय-सूची		
	अध्याय I		
	प्रारंभिक		
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	1	
1.2	परिभाषाऍ	1-4	
	अध्याय II		
	प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की पृष्ठभूगि	ì	
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	5	
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	5	
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	5-6	
	अध्याय III		
केंद्रीय सं	रक्षित संस्मारक-चौरासी गुबंद-लोधी शाह बादशाह का मकबरा, जालौन, उत्तर प्रदेश क	ा स्थान एव	
	अवस्थिति		
3.1	संस्मारक का स्थान एवं अवस्थिति	7-8	
3.2	संस्मारक की संरक्षित चारदीवारी	8	
	3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के अभिलेखों के अनुसार अधिसूचना	8	
	मानचित्र/योजना:	o	
3.3	संस्मारक का इतिहास	8	
3.4	संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्पीय विशेषताएं, तत्व, सामग्रियाँ आदि)	8	
3.5	वर्तमान स्थिति		
	3.5.1 संस्मारक की स्थिति- स्थिति का आकलन		
	3.5.2 प्रतिदिन आने वाले और कभी-कभार एकत्रित होने वाले आगंतुकों की	9	
	संख्या	9	
	अध्याय IV		
	स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो		
4.1	विद्यमान क्षेत्रीकरण	10	
4.2	स्थानीय निकायों के वर्तमान दिशानिर्देश	10	
	अध्याय V		
	प्रथम अनुसूची, एवं कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना		
5.1	संस्मारक की रूपरेखा योजना	11	
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण:	11	
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	11	

	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	11	
	5.2.3 हरित/खुले क्षेत्रों का विवरण	11-12	
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ, आदि	12	
	5.2.5 भवनों की ऊंचाई (क्षेत्रवार)	12	
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन	12	
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	12	
	5.2.8 संस्मारकों तक सुसाध्यता	12	
	5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं	13	
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित		
	क्षेत्रीकरण		
	अध्याय VI		
	संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व		
6.1	संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और प्रातात्विक महत्व	14	
6.2	संस्मारक की संवेदनशीलता	14	
6.3	संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	14	
6.4	पहचान किये जाने वाले भू-उपयोग	15	
6.5	संरक्षित संस्मारक के अतिरिक्त अन्य पुरातात्विक धरोहर अवशेष	15	
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	15	
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य		
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग		
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियां	15	
6.10	संस्मारक और विनियमित क्षेत्र से दृश्यमान क्षितिज	15	
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	15	
6.12	स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध विकासात्मक योजना	16	
6.13	भवन संबंधी मापदंड	16-17	
6.14	आगंतुक सुविधाएं और साधन	17	
	अध्याय VII		
स्थल विशिष्ट संस्तुतियां			
7.1	स्थल विशिष्ट संस्तुतियां	18	
7.2	अन्य संस्तुतियाँ	18-19	

	CONTENTS	
	CHAPTER I Preliminary	
1.1	Short title, Extent and Commencements	20
1.2	Definitions	20-22
Back	CHAPTER II ground of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMA 1958	ASR) Act,
2.1	Background of the Act	23
2.2	Provision of Act related to Heritage Bye-Laws	23
2.3	Rights and Responsibilities of the Applicant	23
<b>Loc</b> 3.1	CHAPTER III cation and Setting of the Centrally Protected Monument - Chaurasi Tomb of Lo Badshah, Jalaun, Uttar Pradesh  Location and Setting of the Monument	<b>dhi Sah</b> 24-25
3.2	Protected boundary of the Monument	25
- 3. <b>2</b>	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:	25
3.3	History of the Monument	25
3.4	Description of the Monument (Architectural features, Elements, Materials etc.)	25
3.5	Current Status:	
	3.5.1 Condition of the Monument – Condition Assessment	25
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	25
	CHAPTER IV Existing Zoning, if any, in the Local area Development Plan	•
4.1	Existing Zoning	26
4.2	Existing Guidelines of the local bodies	26
	CHAPTER V Information as per First Schedule and Total Station Survey	
5.1	Contour Plan	27
5.2	Analysis of surveyed data:	27
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	27
	5.2.2 Description of built up area	27
	5.2.3 Description of green/open spaces	27

	5.2.4 Area covered under circulation – roads, footpaths etc.	28
	5.2.5 Height of buildings (zone-wise)	28
	5.2.6 State Protected Monuments and listed Heritage Buildings	28
	5.2.7 Public Amenities	28
	5.2.8 Access to the Monument	28
	5.2.9 Infrastructure Services	28
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies	28
	CHAPTER VI Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument	
6.1	Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument	29
6.2	Sensitivity of the Monument	29
6.3	Visibility from the Protected Monument and visibility from Regulated Areas	29
6.4	Land-use to be identified	29
6.5	Archaeological heritage remains other than Protected Monument	30
6.6	Cultural landscapes	30
6.7	Significant natural landscapes	30
6.8	Usage of open space and constructions	30
6.9	Traditional, historical and cultural activates	30
6.10	Skyline as visible from the Monument and from Regulated Areas	30
6.11	Traditional Architecture	30
6.12	Developmental plan as available by the local authorities	30
6.13	Building related parameters	30-31
6.14	Visitor facilities and amenities	31
	CHAPTER VII Site Specific Recommendations	•
7.1	Site Specific Recommendations	32
7.2	Other Recommendations	32

	अनुलग्नक/ANNEXURES		
अनुलग्नक-I (क) Annexure-I (a)  Survey Plan of Chaurasi Tomb of Lodhi Sah Badshah, Jalaun, Uttar Pradesh			
अनुलग्नक-I (ख) Annexure-I (b)	चौरासी गुबंद-लोधी शाह बादशाह का मकबरा, जालौन, उत्तर प्रदेश की रूपरेखा योजना Contour Plan of Chaurasi Tomb of Lodhi Sah Badshah, Jalaun, Uttar Pradesh		
अनुलग्नक-I (ग) Annexure-I (C)	चौरासी गुंबद-लोधी शाह बादशाह का मकबरा के संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की सीमाओं को दर्शाने वाली ऑर्थोमौजाईक कार्य स्थल योजना Orthomosaic Site Plan Showing the Boundaries of Protected, Prohibited and Regulated Areas of Chaurasi Tomb of Lodhi Sah Badshah	35	
अनुलग्नक-I (घ) Annexure-I (d)	चौरासी गुंबद-लोधी शाह बादशाह का मकबरा के संरक्षित क्षेत्र को दर्शाने वाली ऑर्थोमौजाईक कार्य-स्थल योजना Orthomosaic Site Plan Showing the Protected Area of Chaurasi Tomb of Lodhi Sah		
अनुलग्नक- II Annexure- II	संस्मारक की अधिसूचना Notification of the Monument		
अनुलग्नक-III Annexure-III			
अनुलग्नक-IV (क) Annexure-IV (a)	A 1: 1D		
अनुलग्नक-IV (ख) Annexure-IV (b)			
अनुलग्नक-V Annexure-V	D' 4 C.1 M 1' C 1'		

# भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20 इ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक, "चौरासी गुबंद-लोधी शाह बादशाह का मकबरा, जालौन, उत्तर प्रदेश" के लिए निम्नलिखित प्रारूप धरोहर उप-विधि जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति धरोहर ट्रस्ट (इनटैक) के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपित या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्द्वारा 21.12.2021 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपति/सुझाव पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ई की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित धरोहर उप-विधि बनाता है, नामत:

चौरासी गुंबद-लोधी शाह बादशाह का मकबरा, जालौन, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

# अध्याय I प्रारंभिक

# 1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

- (i) इन उप-विधियों को केंद्रीय संरक्षित संस्मारक, "चौरासी गुबंद-लोधी शाह बादशाह का मकबरा, जालौन, उत्तर प्रदेश" के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2023 कहा जाएगा।
- (ii) ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।
- (iii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगी।

## 1.2 परिभाषाएं :-

- (1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-
  - (क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक,

पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

- (i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,
- (ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,
- (iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा
- (iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;
- (ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्तरूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-
  - (i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा
  - (ii) उस क्षेत्र तक पह्ंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;
- (ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) है;
- (घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;
- (ड.) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई प्नःनिर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की स्विधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) से आशय सभी तलों के कुल आवृत क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात = भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत क्षेत्र;

- (झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;
- (ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सिहत "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;
- (ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-
  - (i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियाँ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा
  - (ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;
- (ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20 (क) के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (इ) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;
- (ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;
- (त) "विनियमित क्षेत्र" से इस अधिनियम की धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया विनियमित क्षेत्र अभिप्रेत है;

- (थ) "पुन:निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;
- (द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन:निर्माण नहीं होंगे।
- (2) इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

## अध्याय II

# प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि (ए.एम.ए.एस.आर.) अधिनियम, 1958

# 2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) प्रतिषिद्ध क्षेत्र, यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) विनियमित क्षेत्र, यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबिक ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमित से हुआ था, और विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमित सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

# 2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की धारा 20ड और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य संचालन) नियम, 2011 के नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप नियमों को अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

# 2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20 ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और नवीकरण के लिए अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिये गये अनुसार आवदेन का ब्यौरा दिया गया है।


क. कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून,1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था, की मरम्मत अथवा पुनरुद्धार करना चाहता है अथवा विनियमित क्षेत्र में किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत अथवा नवीकरण, जैसा भी मामला हो, करना चाहता है तो वह सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

- ख. कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का स्वामी है और ऐसी भूमि पर बने भवन अथवा संरचना का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसा भी मामला हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।
- ग. सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

### अध्याय-III

# केंद्रीय संरक्षित संस्मारक चौरासी गुबंद-लोधी शाह बादशाह का मकबरा, जालौन, उत्तर प्रदेश का स्थान एवं अवस्थिति

# 3.1 संस्मारक का स्थान और अवस्थिति



चित्र 1 - उत्तर प्रदेश के जालौन में स्थित चौरासी गुंबद-लोधी शाह बादशाह का मकबरा का गूगल मानचित्र ।

- यह जीपीएस निर्देशांक: L 26° 6'49.81"N; अक्षांश 79 °43'37.41" पूर्वी देशांतर पर स्थित है।
- लोधी शाह बादशाह का मकबरा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कालपी शहर के बाहरी इलाके में दक्षिण-पश्चिम किनारे पर एक बाड़े के भीतर स्थित है ।
- संस्मारक के ठीक दक्षिण में उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में कृषि भूमि के साथ-साथ झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग [एनएच-27] है।
- संस्मारक के करीब कुछ भोजनालय, ढाबे और पेट्रोल पंप स्थित हैं।
- कुछ गुंबददार संस्मारक (मकबरा और दरगाह) भी खेतो से दूसरी ओर उत्तर दिशा में मौजूद है, साथ ही पूर्व की ओर गोदाम बाजार और एक अनाज मंडी, पश्चिम में एक स्कूल की इमारत भी है। संस्मारक से निकटतम रेलवे स्टेशन कालपी है, जो उसी शहर के अंदर 3.4 किमी की दूरी पर स्थित है (स्टेशन रोड पचपिंडा रोड झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग [एनएच-27] के माध्यम से) ।

 संस्मारक से निकटतम हवाई अड्डा गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा है जो कानपुर शहर में स्थित है और वहां से 87 किमी की दूरी तय करके वाहन चलाकर या किराए पर टॅक्सी लेकर संस्मारक तक पहुंचा जा सकता है (वायु सेना लेन सड़क एयरपोर्ट एवेन्यू रोड रामादेवी बाईपास मार्ग झांसी - कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग [एनएच - 27] के माध्यम से)

# 3.2 संस्मारक की संरक्षित चारदीवारी:

इसे अनुलग्नक I में संलग्न कार्य-स्थल योजना में देखा जा सकता है ।

# 3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के अभिलेखों के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना : इसे अनुलग्नक II में देखा जा सकता है ।

# 3.3 संस्मारक का इतिहास:

अधिसूचना के अनुसार संस्मारक का लोधी शाह बादशाह का चौरासी गुंबद के रूप में नामकरण किया गया है और यह चौरासी गुंबद के रूप में जनविश्रुत है। यह लोधी सुल्तान के समय में एक कब्र के रूप में बनाया गया था और इसमें अनेक कब्रे है और इनमें से दो प्रमुख कब्रे भवन के केंद्र में बने एक बड़े कक्ष के नीचे है जो उत्तरी और दक्षिण दिशा की ओर हैं। यह बगीचे-मकबरों के शुरुआती उदाहरणों में से एक है और इसका निर्माण लगभग 15वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान हुआ था। (देखे अनुलग्नक-IV(क))

# 3.4 संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्पीय विशेषताएं, तत्व, सामग्रियाँ आदि):

चूने के मोर्टार में यह संरचना पूरी तरह से कंकड़ ब्लॉको का उपयोग करके बनायी गयी है, यह मकबरा 18 मीटर ऊंची संरचना है, जो लगभग 38.48 मीटर की भ्जा वाले वर्गाकार ढाचे पर खडी है। निचले हिस्से के बाहरी फलकों को बीच में मौजूद आठ विशाल खम्भों द्वारा सात धन्षाकार रास्तो में विभाजित किया गया है। कुल मिलाकर मेहराब वाले 84 द्वार है जिससे इस मकबरे का नामकरण किये जाने के उद्देश्य का पता चलता है। छत सीढ़ीदार है, जिसमें चारों कोनों के पास छोटे गुंबद है जिसके साथ, बीच में एक बड़े आकार का केंद्रीय गुंबद है जो अपने बड़े आकार के निचले भाग से लेकर सपाट छत से ऊपर तक काफी ऊंचाई तक उठा ह्आ है, और जिससे यह पूरी इमारत एक विशाल आकार लेती दिखाई देती है; लेकिन यह बड़ा गुंबद अब गिर गया है। मकबरे के अंदर केंद्रीय गुंबंद के नीचे दो कब्रें मौजूद हैं और उनमें से एक को नस्ख शैली में धार्मिक शिलालेखों से सजाया गया है। इसके अलावा, मकबरे के चारों कोनों पर चार अष्टकोणीय बुर्ज भी मौजूद हैं, जिन्हें लघु बांसुरीनुमा गुंबदो से सजाया गया हैं। इसके अलावा मकबरे के अग्रभाग को प्लास्टर के काम से सजाया गया है, जिसमें फूलदार बॉर्डर और बैंड हैं। यह मकबरा चारों और से एक चारदीवारी वाली सरंचना से घिरा हुआ है जिसमें छोटे गुंबदों से सजाए गए चार भव्य प्रवेश द्वार हैं, जो चारों तरफ मौजूद हैं, जिनमें से होते हुए परिसर में प्रवेश किया जा सकता है। अभिलेखीय दस्तावेज आरेखों को अन्लग्नक-IV(ख) में संदर्भित किया जा सकता है।

# 3.5 वर्तमान स्थिति :

# 3.5.1 संस्मारक की स्थिति- स्थिति का आकलन:

संस्मारक की स्थिति ठीक-ठाक है, लेकिन आंशिक रूप से ढह गई बाड़े की दीवारों को और अधिक खराब होने से बचाने के लिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसकी नियमित रूप से देखभाल और रखरखाव की आवश्यकता है। हस्तक्षेपकारी पारंपरिक दृष्टिकोण से बचा जाना चाहिए।

# 3.5.2 प्रतिदिन आने वाले और कभी-कभार एकत्रित होने वाले आगंतुकों की संख्या:

संस्मारक में प्रवेश करने के लिए कोई टिकट नहीं लगता और प्रतिदिन आमतौर पर 150-200 लोग संस्मारक देखने आते हैं। शुक्रवार के दिन स्थानीय लोग आकर मकबरे के अंदर मौजूद कब्रों पर नमाज अदा करते हैं।

### अध्याय IV

# स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

# 4.1 विद्यमान क्षेत्रीकरण:

संस्मारक के संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र लंगरपुर गांव में स्थित हैं, जो कालपी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर नहीं आते हैं। किसी भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक कार्य-क्षेत्र में कोई विकास योजना उपलब्ध नहीं है, इसलिए आज तक कोई क्षेत्रीकरण नहीं किया गया है। संरक्षित संस्मारक सीमा के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में मौजूद भूखंड वर्तमान में कृषि गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाते हैं। दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 और उससे आगे का वन क्षेत्र है, जो क्रमशः एनएचएआई और वन विभाग के स्वामित्व में है, जैसा कि कालपी नगर पालिका (अनुलग्नक III में संलग्न भूमि रिकॉर्ड) से पृष्टि की गई है।

# 4.2 स्थानीय निकायों के वर्तमान दिशानिर्देश/स्थिति:

वर्तमान में, स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा कृषि भूमि के लिए कोई नियम या दिशानिर्देश नहीं बनाए गए हैं। इसलिए, इस दस्तावेज़ में प्रस्तावित उपनियम प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के लिए लागू होंगे।

### अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकॉर्ड में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची, नियम 21(1)/ कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना

# 5.1 संस्मारक की रूपरेखा योजना :

चौरासी गुंबद-लोधी शाह बादशाह का मकबरा, जालौन, उत्तर प्रदेश की सर्वेक्षण योजना अनुलग्नक- I(ख) में देखी जा सकती है।

# 5.2 सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण:

# 5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र/विनियमित क्षेत्र वर्गमीटर में और उनकी मुख्य विशेषताएं

संरक्षित क्षेत्र (लगभग): 10732.21 वर्गमीटर (2.65 एकड़)। प्रतिषिद्ध क्षेत्र (लगभग): 72761.47 वर्गमीटर (17.97 एकड़)। विनियमित क्षेत्र (लगभग): 333872.28 वर्गमीटर (82.50 एकड़)।

# म्ख्य विशेषताएं:

संस्मारक के आसपास के क्षेत्र में कुछ ग्रामीण झोपड़ियों, ढाबों, पेट्रोल पंपों, पानी की टंकियों, कुओं, पंप हाउसों और विविध टिन शेड संरचनाओं को छोड़कर ज्यादातर कृषि भूमि है।

# 5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण :

# प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र:

- उत्तर : प्रतिषिद्ध क्षेत्र /विनियमित क्षेत्रों में कुछ विविध संरचनाओं के अलावा कुछ पानी के टैंकों और पंप घरों के साथ खेती की भूमि का एक विशाल विस्तार है।
- दक्षिण : प्रतिषिद्ध क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है, जिसके आगे प्रतिषिद्ध और साथ ही विनियमित क्षेत्र से होते हुए आगे हरित क्षेत्र फैला हुआ है।
- पूर्व : प्रमुख रूप से, प्रतिषिद्ध क्षेत्र में संस्मारक से सटे दो पंप हाउस के अलावा सड़क किनारे दो भोजनालय/ ढाबे मौजूद हैं जिनके साथ अधिकांशतः कृषि योग्य भूमि मौजूद है। विनियमित क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप देखा जा सकता है।
- पश्चिम: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में प्रमुख रूप से खेती की जाने वाली भूमि के अलावा कुछ विविध संरचनाएं मौजूद हैं। विनियमित क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप, कुछ छोटी फूस की झोंपड़ियाँ, एक कुआँ और कुछ विविध संरचनाएँ मौजूद हैं।

# 5.2.3 प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों में हरित/ख्ले क्षेत्रों का विवरण:

• उत्तर: खेती की जमीन प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में मौजूद है।

- दक्षिण: प्रतिषिद्ध और साथ ही विनियमित क्षेत्रों से होते हुए झाँसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 27) से आगे तक पेड़ों से घिरी हुई सघन भूमि मौजूद है।
- पश्चिम: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में खेती योग्य भूमि मौजूद है जो विनियमित क्षेत्रों तक
   फैली हुई है।
- पूर्व: मुख्य रूप से खेती की भूमि प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में मौजूद है, साथ ही भोजनालयों और पेट्रोल पंपों के बाहर कुछ खाली खुला स्थान है जिसका उपयोग पार्किंग उददेश्यों के लिए किया जाता हैं।

# 5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फ्टपाथ, आदि :

प्रतिषिद्ध क्षेत्र की दक्षिण दिशा में विनियमित क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व एवं दक्षिण-पश्चिम दिशाओं में झांसी-कानपुर राजमार्ग (एनएच-27) आता है। इसके अलावा, प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों के उत्तर, पूर्व, उत्तर-पूर्व और पश्चिम दिशाओं में कुछ संकरी कच्ची सड़कें भी मौजूद हैं। संरक्षित सीमा के अंदर कुछ स्थानों पर पक्का मार्ग प्रदान किया गया है।

# 5.2.5 भवनों की ऊंचाई (क्षेत्रवार) :

उत्तर: कोई भवन नहीं है।

दक्षिण: कोई भवन मौजूद नहीं है।

पूर्व: अधिकतम ऊंचाई 5.0 मीटर है।

पश्चिम: अधिकतम ऊंचाई 3.0 मीटर है।

# 5.26 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय अधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हो :

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में कोई राज्य संरक्षित संस्मारक या कोई अन्य सूचीबद्ध धरोहर संस्मारक मौजूद नहीं है। हालाँकि, मुख्य रूप से उत्तर और उत्तर-पूर्व दिशा की ओर खेती वाली भूमि पर कई मकबरें और *दरगाह हैं।* 

# 5.2.7 सार्वजिनक स्विधाएं:

संस्मारक की संरक्षित सीमा के भीतर पेयजल सुविधा और सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध हैं। सूचनापट्ट जैसे - सुरक्षा नोटिस बोर्ड और सांस्कृतिक सूचना बोर्ड भी मौजूद हैं।

# 5.2.8 संस्मारक तक सुसाध्यता :

संस्मारक तक सीधे प्रतिषिद्ध क्षेत्र की दक्षिण दिशा में आने वाले झांसी-कानपुर राजमार्ग (एनएच 27) से पहुँचा जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग और संस्मारक की संरक्षित सीमा के मध्य 21.5 मीटर ख्ला स्थान है।

# 5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि) :

संस्मारक की संरक्षित सीमा में पेयजल के लिए एक हैंडपम्प और जलपूर्ति और शौचालय सुविधा उपलब्ध है। प्रतिषिद्ध क्षेत्र में दो पानी की टंकियां और विनियमित क्षेत्र में दो पम्प हाउस भी मौजूद हैं। संस्मारक से उत्तर-पूर्व दिशा की ओर खेतों से होते हुए जल-मल निकास व्यवस्था होकर गुजरती है। पार्किंग के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं है।

# 5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण :

स्थानीय/राज्य प्राधिकरण द्वारा इस क्षेत्र के लिए कोई प्रस्तावित क्षेत्रीकरण नहीं है।

### अध्याय VI

# संस्मारक का वास्त्कला, ऐतिहासिक और प्रातात्विक महत्व

# 6.1 संस्मारक का वास्त्कला, ऐतिहासिक और प्रातात्विक महत्व:

लोधी सुल्तानों के काल से जुड़ा यह संस्मारक अपने आप में एक विशाल ऐतिहासिक महत्व रखता है। ऐतिहासिक रूप से यह लोधी शाह बादशाह की स्मृति से जुड़ा है और स्पष्ट रूप से 15 वीं -16 वीं शताब्दी ईस्वी का निर्मित है। वास्तुकला की दृष्टि से संस्मारक की संरचना, मेहराबदार प्रवेश-द्वार, खंबों, ऊंचे गुंबदों, बुर्जों और लघु बांसुरी आकार के गुंबदों वाली है जिससे हमें लोधी सुल्तान द्वारा किये गये इस निर्माण कार्य और उसके डिजाइन में छिपी तर्कसंगतता को समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा मकबरे के विभिन्न हिस्सों में की गई बेजोड़ प्रभावशाली कलाकृति जैसे कि प्लास्टर का काम, फूलों की पट्टी और बॉर्डर आदि प्राचीन युग के शिल्पकारों द्वारा की गई विशिष्ट प्रभावशाली कलाकृति को दर्शाती हैं और इस प्रकार संस्मारक को अपार वास्त्शिल्प और प्रातात्विक मूल्य प्रदान करती है।

# 6.2 संस्मारक की संवेदनशीलता (जैसे विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि):

चूंकि, संस्मारक राजमार्ग के साथ-साथ और कालपी शहर के बाहरी इलाके में स्थित है, अतः नगर के होते विस्तार और राजमार्ग के साथ-साथ बढ़ती व्यवसायिक गतिविधियों के कारण इस पर शहरीकरण का दवाब बढ़ता जा रहा है।

संस्मारक प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र दोनों में हर तरफ से खेती की भूमि से घिरा हुआ है। विनियमित क्षेत्र से परे कुछ आगे की ओर निर्माण हो रखे हैं और यदि यह प्रवृति बनी रहती है तो इससे संस्मारक की प्राचीन अवस्थिति प्रभावित हो सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग-27 (एनएच-27) को भविष्य में चौड़ा किया जा सकता है, जिससे संस्मारक की सुसाध्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि राजमार्ग पहले से ही संस्मारक के बहुत करीब है।

## 6.3 संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

# संस्मारक से प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की ओर:

- खेत के उस पार उत्तरी दिशा में कुछ मकबरों और *दरगाहों* के साथ-साथ खेती की जमीन देखी जा सकती है।
- पूर्व और पश्चिम की ओर ढाबे, पेट्रोल पंप और कुछ फूस की झोपड़ियाँ दिखाई देती हैं।
- दक्षिण में, राष्ट्रीय राजमार्ग-27 (एनएच-27) और उसके आगे एक हरा आवरण देखा जा सकता है।

# प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों से संस्मारक की ओर:

- उत्तर, पश्चिम और पूर्व में संस्मारक के आस-पास कृषि भूमि के विस्तृत विस्तार के कारण इन दिशाओं से प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों से संस्मारक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
- राजमार्ग के साथ-साथ विशेषकर ढाबों के पास खड़े ट्रकों की उपस्थिति के कारण दक्षिण
   में संस्मारक की दृश्यता बाधित होती है।

# 6.4 पहचान किये जाने वाले भू-उपयोग :

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के साथ संस्मारक कालपी नगरपालिका सीमा के बाहर पड़ता है, इसलिए कोई औपचारिक भूमि-उपयोग निर्धारित नहीं किया गया है। हालाँकि, भूमि का उपयोग ज्यादातर खेती और कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसा कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पृष्टि की गई है। (अनुलग्नक III देखें)

# 6.5 संरक्षित संस्मारक के अतिरिक्त अन्य पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में कोई अन्य राज्य या स्थानीय रूप से संरक्षित संस्मारक मौजूद नहीं है। हालाँकि, मुख्य रूप से उत्तर और उत्तर-पूर्व की ओर खेती की गई भूमि के सामने की ओर कुछ गुंबददार संरचनाएँ (मकबरे और *दरगाह*) देखी जा सकती हैं।

# 6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

संस्मारक की सभी तीन दिशाओं में खेती की भूमि के साथ-साथ अन्य मकबरों और दरगाहों के मिश्रण से बने सुरम्य परिदृश्य से एक प्राचीन स्वरूप वाला वातावरण बनता है जिसमें इस संरक्षित संस्मारक का महत्व झलकता है।

# 6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा है और संस्मारक को पर्यावरण प्रदृषण से संरक्षित करने में भी सहायक है:

राष्ट्रीय राजमार्ग 27 (एनएच 27) से परे खुली खेती की जमीन और हरित आवरण संस्मारक के प्राकृतिक परिदृश्य का एक हिस्सा है।

# 6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में मौजूद खुली भूमि का उपयोग खेती और कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग-27 (एनएच- 27) से आगे दक्षिण में खुली जगह में एक घना हरा-भरा क्षेत्र है।

# 6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियां:

शुक्रवार को, स्थानीय क्षेत्र के लोग कुछ धार्मिक रस्में अदा करने के लिए मकबरे के अंदर मौजूद कब्रों पर इकट्ठा होते हैं।

# 6.10 संस्मारक और विनियमित क्षेत्र से दृश्यमान क्षितिज:

चूँिक गुबंद 18 मीटर ऊँचा उठा हुआ ढांचा है, यह विनियमित क्षेत्र से क्षितिज में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जबिक संस्मारक से देखे जाने पर झोपड़ियों और गुंबदों के साथ-साथ खेती की भूमि क्षितिज का निर्माण करती है।

# 6.11 पारंपरिक वास्त्कलाः

मिट्टी, छप्पर आदि जैसी स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रीयों का उपयोग करते हुए कुछ ग्रामीण झोपडियां प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं।

# 6.12 स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा यथा उपलब्ध विकासात्मक योजना:

स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा किसी विकास योजना का निर्माण कर उसे अधिसूचित नहीं किया गया है

### 6.13 भवन संबंधी मानदंड

स्थानीय क्षेत्र विकास उपनियमों के अभाव में राजमार्ग के साथ-साथ वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि और कालपी पर शहरीकरण के दबाव के कारण, संस्मारक पर विकास के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए भवन उपनियमों को लागू करने की नितांत आवश्यकता है। .

- निर्माण संबंधी गतिविधियों के संबंध में एएमएएसआर अधिनियम के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियम लागू होंगे।
- प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण की अन्मति नहीं दी जाएगी।
- संस्मारक के दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग से परे वन भूमि में विनियमित क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- विनियमित क्षेत्र के उत्तर, पूर्व एवं पश्चिम दिशा में कृषि के वर्तमान उपयोग को बनाये रखा जायेगा।
- संस्मारक के पूर्व, उत्तर और पश्चिम दिशाओं में विनियमित क्षेत्र में कृषि भूमि पर केवल अपवादिक निर्माण की छूट (उदाहरण के लिए, किसानों के लिए आवास इकाइयां, कृषि उत्पादों का भंडारण, प्रसंस्करण और बिक्री आदि) की अन्मित होगी।
- विनियमित क्षेत्र में सभी छूट प्राप्त निर्माणों के लिए ऊंचाई प्रतिबंध सब मिलाकर 5 मीटर से अधिक नहीं होगा।
- छूट प्राप्त निर्माण के अग्रभाग भाग के डिजाइन में निम्नितिखित मानकों का पालन किया जायेगा।
  - i. छूट प्राप्त निर्माण कार्यों में स्थानीय भवन सामग्री का प्रयोग करते हुए देशी वास्तुकला का प्रयोग किया जायेगा ।
  - ii. बाहरी अग्रभाग का डिजाईन न्यूनतम रखा जायेगा। क्लैडिंग जैसी किसी हस्तक्षेपकारी सामग्री अथवा पैनलिंग का इस्तेमान करने की अन्मति नहीं होगी।
  - iii. प्लंबिंग और इलेक्ट्रिकल सेवाएं भवन के बाहरी हिस्से में नहीं होनी चाहिए।
  - iv. रंगीन शीशे के प्रयोग की अन्मति नहीं होगी।
  - v. बाहरी रंग तटस्थ और मिट्टी के शेड के होने चाहिएं और ये इस प्रकार के हों कि संस्मारक और आसपास के परिदृश्य के साथ इनका सामंजस्य स्थापित हो।
- तलघर के निर्माण की अन्मति नहीं दी जाएगी।
- बिलकुल आस-पास के और साथ लगे क्षेत्रों में ऐसे किसी निर्माण कार्य की अनुमति नही दी

जानी चाहिएं जिनसे अन्य मकबरों और *दरगाहों* के साथ इस मकबरे की दृश्य संबंधी संपर्कता बाधित होती हो।

• संस्मारक की संरक्षित सीमा की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को और चौड़ा करने की अनुमित नहीं दी जानी चाहिए।

# 6.14 आगंतुक सुविधाएं और साधन

संस्मारक की संरक्षित सीमा के भीतर पीने के पानी की सुविधा और सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध हैं। कार्यस्थल पर आगंतुक सुविधाएं और साधन जैसे रोशनी, सूचनापट्ट, एक गार्ड रूम और सार्वभौमिक सुसाध्यता जैसे रैंप, स्पर्श पथ और ब्रेल सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।

### अध्याय VII

# स्थल विशिष्ट संस्तुतियां

# 7.1 स्थल विशिष्ट संस्तुतियां

# संरक्षित संस्मारक के लिए सिफारिशें :

- मकबरे के मूल पत्थर की बाड़े की दीवार को और खराब होने से बचाने के लिए उसे बहाल किया जाना चाहिए ।
- संस्मारक की संरक्षित सीमा में मौजूदा रोशनी में सुधार किया जाना है।
- एएसआई की सीमा से घिरे संस्मारक के आस-पास उचित रास्ते और भूनिर्माण विकसित किया जाना है ।
- आगंतुकों की जानकारी के लिए द्विभाषी और स्थानीय भाषा में उचित अंतरालों पर निषेध, स्रक्षा, सूचना और दिशा संबंधी संकेतक प्रदान किए जा सकते हैं |
- संदिग्ध आगंतुकों के प्रवेश को रोकने के लिए संस्मारक के प्रवेश द्वार पर एक गार्ड रूम और गार्ड रखा जाएगा ।
- विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित मानकों के अन्सार प्रावधान किए जाएंगे।

# प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के लिए दिशानिर्देश:

- संस्मारक की एकदम पास की सीमा के साथ-साथ किसी पार्किंग की अनुमित नहीं दी जानी चाहिए।
- ढाबों को संस्मारक से दूर विनियमित क्षेत्र की सीमाओं के बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
- प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में भूमि का उपयोग वर्तमान में कृषि कार्य के लिए किया जाता है। क्षेत्र को भविष्य में क्षेत्र विकास योजनाओं में कृषि क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए।
- संरक्षित संस्मारक पर कंपन के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए खुदाई कार्य के लिए भारी मशीनरी के उपयोग से बचा जाना चाहिए।
- खुदाई का काम एएसआई की देखरेख में हाथों द्वारा या हल्की मशीनरी की मदद से किया जाना चाहिए।

# 7.2 अन्य संस्तुतियां

- मौजूदा व्यावसायिक खंड का विस्तार संस्मारक की विनियमित सीमा तक ही सीमित होना चाहिए।
- कृषि भूमि के लिए राज्य/स्थानीय प्राधिकरण विशिष्ट दिशानिर्देश/उपविधि तैयार करेंगे
   जिन्हें सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

- चौरासी मकबरा अन्य मौजूदा गुंबददार संरचनाओं (मकबरों और *दरगाहों)* के साथ एएसआई और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से एक धरोहर परिसर के रूप में विकसित किया जा सकता है।
- स्थानीय क्षेत्र उप-नियमों में संस्मारक के आसपास और यहां तक की विनियमित क्षेत्रों से परे भी ऊंची इमारतों का निर्माण प्रतिबंधित होना चाहिए।
- सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और परिसरों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf पर देखे जा सकते हैं।

# GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CULTURE NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument "Chaurasi Tomb of Lodhi Sah Badshah, Jalaun, Uttar Pradesh", prepared by the Competent Authority, in consultation with the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH), were published on 21.12.2021, as required by sub-rule (2) of Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:-

Heritage Bye-Laws for Chaurasi Tomb of Lodhi Sah Badshah, Jalaun, Uttar Pradesh

# CHAPTER I Preliminary

### 1.1 Short title, extent and commencements:

- (i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage bye-laws, 2023 of Centrally Protected Monument Chaurasi Tomb of Lodhi Sah Badshah, Jalaun, Uttar Pradesh.
- (ii) They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.
- (iii) They shall come into force with effect from the date of their publication.

### 1.2 Definitions:

- (1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, the definitions as given in the Act or the rules made thereunder have been reproduced hereunder for the sake of convenience:-
  - (a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes:-
    - (i) the remains of an ancient monument,
    - (ii) the site of an ancient monument,

- (iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
- (iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;
- (b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:
  - (i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
  - (ii) the means of access to, and convenient inspection of the area;
- (c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);
- (d) "archaeological officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;
- (e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;
- (f) "competent authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:
  - Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;
- (g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or, the construction and maintenance of works meant for providing supply of water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;
- (h) "Floor Area Ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;
  - FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;
- (i) "Government" means the Government of India;
- (j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

- (k) "owner" includes-
  - (i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and
  - (ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-inoffice of any such manager or trustee;
- (l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (m) "prohibited area" means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;
- (n) "protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;
- (o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;
- (p) "regulated area" means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B of this Act;
- (q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;
- (r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;
- (2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made thereunder.

### **CHAPTER II**

# Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958

## 2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The three hundred meters area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area**, the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

## 2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws:

Section 20E of AMASR Act, 1958 and Rule 22 of Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monument and Area. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

### 2.3 Rights and Responsibilities of the Applicant:

Section 20C of AMASR Act, 1958 specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

- a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16<sup>th</sup> June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.
- Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, may make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.
- c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

### **CHAPTER - III**

# Location and Setting of the Centrally Protected Monument-Chaurasi Tomb of Lodhi Sah Badshah, Jalaun, Uttar Pradesh.

# 3.1 Location and Setting of the Monument:-




Figure 1- Google Earth Image of Chaurasi Tomb of Lodhi Shah Badshah situated in Jalaun, Uttar Pradesh.

- It is situated at GPS Coordinates: Lat.26° 6'49.81"N; Long.79°43'37.41"E.
- The Tomb of Lodhi Sah Badshah, within an enclosure is located on the southwest edge, on the outskirt of the Kalpi town of Jalaun District, Uttar Pradesh.
- Immediately to the south of the monument is the Jhansi-Kanpur National Highway NH27 along with agricultural land on the north, east and west direction.
- There are some eateries, dhabas and petrol pumps in close proximity to the monument.
- A few domed monuments (tombs and *Dargahs*) are also present on the northern side across the field from the monument, along with a grain market, warehouses towards the east and a school building on the west. The nearest railway station from the monument is Kalpi, situated inside the same town at a distance of 3.4kms (via Station road Pachpinda road Jhansi Kanpur National Highway [NH-27].

• The nearest airport from the monument is Ganesh Shankar Vidhyarthi Airport situated at Kanpur city and from there one can reach the monument either by driving or hiring a local taxi covering a distance of 87kms (via Air force Lane road → Airport Avenue road → Ramadevi Bypass Marg → Jhansi − Kanpur National Highway [NH-27].

### 3.2 Protected Boundary of the Monument:

It may be seen in the Site Plan attached in **Annexure I**.

### 3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

It may be seen at Annexure II.

### 3.3 History of the Monument:

Monument named as per the notification— Chaurasi Tomb of Lodhi Shah Badshah is popularly known as Chaurasi Gumbad. It was built during the time of Lodhi Sultans as a mausoleum and contains several tombs, the two chief of which are beneath the large chamber in the center of the building, facing north and south <sup>1</sup>. It is one of the earliest examples of garden-tombs and is assignable to 15<sup>th</sup>-16<sup>th</sup> century C.E. (Refer **Annexure** – **IV(a)**).

### 3.4 Description of the Monument (architectural features, elements, materials etc.):

Built entirely using kankar blocks laid in lime mortar, the tomb is 18m high structure erected on a square plan having sides of about 38.48m. The outer faces of lower part are divided into seven arched openings by eight huge piers present in between. In all there are 84 door arches which serve the purpose behind naming of the tomb. The roof is terraced, with small domes near the four corners, together with the great central dome which has risen from a large neck to a considerable height above the flat roof, and added to the massive appearance of the building; but this large dome is now fallen in.<sup>2</sup> Inside the tomb, two graves are present under the central tomb and one of them is decorated by religious inscriptions in *Naskh* style. Apart from this, four octagonal turrets also exist at four corners of the tomb which are crowned by miniature fluted domes. Further the facades of the tomb are decorated in stucco work, with flowered borders and bands. The tomb stands surrounded by a boundary wall structure containing cells (*Sanchis*) with four imposing gateways adorned by small domes, existing on all four sides through which one could enter the premises. The archival documentation drawings may be referred in **Annexure – IV(b)**.

### 3.5 Current Status:

### 3.5.1 Condition of the Monument- Condition Assessment:

The monument is in a fair state of condition but needs attention to prevent further deterioration of the partially collapsed enclosure walls. Regular upkeep and maintenance is required. Intrusive conservation approaches should be avoided.

# 3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

It is a non-ticketed monument and usually 150-200 people visit the monument per day. On Fridays, local people come and perform rituals on the graves present inside the tomb.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> *Journal of Indian Art, Volume 5.* 1894. University of Minnesota Libraries, Ames Library of South Asia, umedia.lib.umn.edu/item/p16022coll189:3185

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journal of Indian Art, Volume 5. 1894. University of Minnesota Libraries, Ames Library of South Asia, umedia.lib.umn.edu/item/p16022coll189:3185

### **CHAPTER IV**

### Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans

# 4.1 Existing Zoning:

The Protected, Prohibited and Regulated Areas of the Monument are located in the Langarpur Village which does not fall within the limits of the Kalpi Municipal boundaries. No development plan is available in public domain by any of the local authorities therefore, no zoning exists till date. The plots present on the west, north and east of the protected monument boundary are currently used for agricultural activities. On the south is the National Highway 27 and forest area beyond it, owned by NHAI and Forest Department respectively as confirmed with the Kalpi Municipality (Nagar Palika) (land records attached in the **Annexure III**).

# 4.2 Existing Guidelines of the local bodies / Status of:

Currently, there are no regulations or guidelines framed for agricultural land by the Local Authorities. Hence, the bye-laws proposed in this document shall be applicable for the Prohibited and Regulated Areas.

### **CHAPTER V**

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ Total Station Survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India Records.

## 5.1 Contour Plan of Chaurasi Tomb of Lodhi Sah Badshah, Jalaun, Uttar Pradesh:

Survey Plan of Chaurasi Tomb of Lodhi Sah Badshah, Jalaun, Uttar Pradesh may be seen at **Annexure-I(b).** 

### 5.2 Analysis of the surveyed data:

### 5.2.1 Prohibited Area/Regulated Area in sqm and their salient features

Protected Area (approx.): 10732.21 sqm (2.65 Acres). Prohibited Area (approx.): 72761.47 sqm (17.97 Acres). Regulated Area (approx.): 333872.28 sqm (82.50Acres).

### **Salient Features:**

The area surrounding the monument is mostly agricultural land except for some rural huts, dhabas, petrol pumps, water tanks, wells, pump houses and miscellaneous tin shed structures.

### **5.2.2** Description of the built-up area:

### **Prohibited & Regulated Areas:**

- North: A vast expanse of cultivated land along with few water tanks and pump houses in addition to some miscellaneous structures in the prohibited area regulated areas.
- **South:** There is National Highway 27 in the Prohibited Area, beyond which extends a lush green cover through the Prohibited as well as the Regulated Area.
- East: Majorly cultivated land, along with two roadside eateries/dhabas are present in addition to two pump houses adjacent to the monument in the Prohibited Area. A petrol pump can be seen in the Regulated Area.
- West: A few miscellaneous structures in addition to the majorly cultivated land is present in the Prohibited Area. A petrol pump, some small thatched hutments, a well and a few miscellaneous structures are present in the Regulated Area.

### 5.2.3 Description of green/open spaces in the Prohibited & Regulated Areas:

- North: Cultivation land is present in the Prohibited and Regulated Areas.
- **South:** Land densely covered by trees extends beyond the Jhansi-Kanpur National Highway (NH27) through the Prohibited as well as the Regulated Areas.
- West: Cultivation land is present in the Prohibited Area which extends upto the Regulated Areas.
- East: Majorly cultivation land is present in the Prohibited and Regulated Areas along with some vacant open spaces outside the eateries and petrol pumps used for parking purposes.

### 5.2.4 Area covered under circulation – roads, footpaths, etc.:

In the south direction of the Prohibited Area, in south-east and south-west directions of Regulated Area, Jhansi-Kanpur Highway (NH-27) is present. Further, some narrow earthen streets are also present in the north, east, north-east and west directions of both the Prohibited and Regulated Areas. Inside the protected boundary, paved pathway is provided in some places.

### 5.2.5 Heights of buildings (Zone wise):

North: No building is present. South: No building is present. East: The maximum height is 5.0m. West: The maximum height is 3.0m.

# 5.2.6 State Protected Monuments and Listed Heritage Buildings by local Authorities if available within Prohibited/Regulated Area:

There is no state protected monument or any other listed heritage monument present in the Prohibited and Regulated Area. However, there are several tombs and *Dargahs* across the cultivated land mainly towards the north and northeast side.

### **5.2.7** Public Amenities:

Drinking water facility and public toilets are available inside the protected boundary of the monument. Signages like - Protection Notice Board and Cultural Notice Board are also present.

### **5.2.8** Access to the Monument:

The monument is directly accessed by Jhansi-Kanpur Highway (NH-27) present in the south direction of the Prohibited Area. There is a 21.5m wide open space between the national highway and the monument's protected boundary.

# 5.2.9 Infrastructure Services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

A hand-pump and water supply for drinking water and toilet facility is available in the protected boundary of the monument. Two water tanks in the Prohibited Area and two pump houses in the Regulated Area are also present. A drainage system passes through the field from the Monument, towards the north-east side. There is no designated space allocated for parking.

### 5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

There is no proposed zoning for this area by the Local/ State Authority.

### **CHAPTER VI**

### Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument.

### 6.1 Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument:

Belonging to the period of Lodhi Sultans, the monument itself holds an enormous chronicled esteem. Historically it relates with the memory of Lodhi Sah Badshah and is clearly assignable to 15<sup>th</sup>-16<sup>th</sup> century C.E. Architecturally, the structure of the monument including arched openings, piers, lofty domes, turrets and miniature fluted domes help us to unveil the design and construction rationalities composed by Lodhi Sultans. Moreover the unmatched impressive artwork done in various parts of the tomb such as stucco work, flower bands and borders etc. reflects the typical impressive artwork done by the craftsmen of ancient era, thus adding immense architectural and archaeological value to the monument.

# 6.2 Sensitivity of the Monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population pressure, etc.):

Since, the monument is situated along the highway and the outskirts of Kalpi town, it is prone to the pressures of urbanization due to the expansion of the town and the rise of commercial activities along the highway.

The monument is surrounded by cultivated land on all sides in both Prohibited and Regulated Area. There are some upcoming constructions beyond the Regulated Area and if the same continues it would impact the pristine setting of the monument. The NH 27 may be subjected to widening, which will adversely impact the monument's access as the highway is already in very close proximity to the monument.

# 6.3 Visibility from the Protected Monument or Area and visibility from Regulated Area: From the Monument towards the Prohibited and Regulated Area:

- Cultivated land along with few tombs and *dargahs* on the northern side across the field can be seen.
- Dhabas, petrol pump and few thatched hutments on the east and west sides are visible.
- On the south, the highway (NH27) and a green cover can be seen beyond that.

### From the Prohibited and Regulated Areas towards Monument:

- Due to the vast expanse of the cultivated land surrounding the monument in the north, west and east, the monument is clearly visible from the Prohibited and Regulated Areas in these directions.
- The visibility of the monument in the south is disturbed due to the presence of trucks parked along the highway, especially near the dhabas.

### 6.4 Land-use to be Identified:

The monument along with its Prohibited and Regulated Areas fall outside the Kalpi Municipal boundary, therefore, no formal land-use has been prescribed. However, the land is mostly used for cultivation and agricultural purposes as confirmed by the Local Authority. (Refer Annexure III)

#### 6.5 Archaeological heritage remains other than the protected monument:

There is no other state or locally protected monument present in the Prohibited and Regulated Area. Although, a few domed structures (tombs and *dargahs*) across the cultivated land mainly in the north and northeast side can be spotted.

### 6.6 Cultural Landscape:

The picturesque landscape formed in composition of the other tombs and *dargahs* along with the cultivation land on all the three sides of the monument, create a pristine environment retaining the importance of this protected monument.

# 6.7 Significant natural landscape that forms part of cultural landscape and also helps in protecting monument from environmental pollution:

Open cultivation land and the green cover beyond the NH27 forms a part of the natural landscape of the monument.

### 6.8 Usage of open space and constructions:

The open land present in the north, east and west directions are used for cultivation and agricultural purposes. The open space in the south beyond NH27 is a dense green cover area.

#### 6.9 Traditional, historical and cultural activities:

On Friday, people from local area gather at the graves present inside the tomb to perform some religious rituals.

## 6.10 Skyline as visible from the monument and from Regulated Area:

Since the tomb is 18m high raised structure, it is clearly visible in the skyline from the Regulated Area whereas the cultivated land along with hutments and domes form the skyline when viewed from the monument.

#### **6.11 Traditional Architecture:**

Some rural huts, built using locally available materials such as mud, thatch etc. can be seen in both the Prohibited and Regulated Areas.

## 6.12 Development plan as available by the local authorities:

No developmental plan has been framed and notified by the local authorities.

### **6.13** Building related parameters:

Due to the absence of local area development bye-laws, rise in commercial activities along the highway and the pressure of urbanization on Kalpi, there is a critical need to put in place the building bye-laws to mitigate adverse impacts of development on the monument.

- Provisions of the AMASR Act and the Rules framed there under regarding construction related activities shall be applicable.
- No construction shall be allowed in the Prohibited Area.
- No construction to be allowed in the Regulated Area in the forest land beyond the NH to the south of the monument.
- To the north, east and west direction of the Regulated Area, the current use of agriculture shall be maintained.

- Only exempted constructions allowed on agricultural land (for example, dwelling units for farmers, storage, processing and sale of farm products, etc) will be permissible in the Regulated Area on the east, north and west directions of the monument.
- The height restriction for all exempted constructions in the Regulated area shall not exceed 5m all inclusive.
- The facade design of exempted construction to adhere to the following parameters:
  - i. Vernacular architecture using local building materials to be used in exempted constructions.
  - ii. Minimalistic design, no intrusive materials like cladding or use of paneling on the exterior facade will be permitted.
- iii. Plumbing and electrical services shall not be on the exterior of the building.
- iv. Use of coloured glazing will not be permitted.
- v. The exterior colour must be in neutral and earthy tones, in harmony with the monument and the surrounding landscape.
- Construction of basement will not be permitted.
- Any construction in the immediate surrounding and adjacent areas that disrupts the visual connectivity of the tomb with the other tombs and *dargahs* should not be permitted.
- Further widening of the National Highway 27, towards the protected boundary of the monument should not be permitted.

#### 6.14 Visitor facilities and amenities:

Drinking water facility and public toilets are available inside the protected boundary of the monument. Visitor facilities and amenities such as illumination, signages, a guard room and universal accessibility such as ramp, tactile pathways and braille facility may be made available at the site.

#### **CHAPTER VII**

#### **Site Specific Recommendations**

### 7.1 Site Specific Recommendations

### **Recommendations for the protected monument:**

- The original stone enclosure wall of the tomb to be restored to prevent further deterioration.
- The existing illumination in the protected boundary of the monument to be improved.
- Proper pathways and landscaping to be developed around the monument enclosed by the ASI boundary.
- Prohibition, protection, information and direction signages at proper intervals may be provided for visitors' information in bilingual and local language.
- A guard room & guard shall be placed at the entrance of the monument to prevent entry of unscrutinised visitors.
- Provisions for the differently abled persons to be provided as per prescribed standards.

## Guidelines for the Prohibited and Regulated Area:

- No parking should be allowed along the immediate boundary of the monument.
- The Dhabas should be relocated away from the monument, outside the boundaries of the Regulated Area.
- The current use of land in the Prohibited and Regulated Area is agricultural. The area should be designated as Agricultural zone in the Area Development Plans in the future.
- Use of heavy machinery for digging work should be avoided to mitigate adverse impact on account of vibrations on the protected monument.
- The digging work should be executed manually or with the help of light machinery under the supervision of ASI.

#### 7.2 Other Recommendations

- The expansion of the existing commercial pocket should be restricted to the Regulated boundary of the monument.
- State/local Authorities shall prepare specific guidelines/bye-laws for agricultural lands which should be made available in public domain.
- Chaurasi Tomb along with the other existing domed structures (tombs and *dargahs*) may be developed as a heritage precinct jointly by ASI and State Government Authorities.
- Construction of high rise structures should be restricted around the monument even beyond the Regulated Areas in the local area bye-laws.
- National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts maybe referred at <a href="https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf">https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf</a>


# अनुलग्नक ANNEXURES

अनुलग्नक – I (क) ANNEXURE – I (a)


चौरासी गुबंद-लोधी शाह बादशाह का मकबरा, जालौन, उत्तर प्रदेश की सर्वेक्षण योजना Survey Plan of Chaurasi Tomb of Lodhi Sah Badshah, Jalaun, Uttar Pradesh

**अनुलग्नक** – I(क) ANNEXURE - I(a)


चौरासी गुबंद-लोधी शाह बादशाह का मकबरा, जालौन, उत्तर प्रदेश की सर्वेक्षण योजना Survey Plan of Chaurasi Tomb of Lodhi Sah Badshah, Jalaun, Uttar Pradesh




# चौरासी गुंबद-लोधी शाह बादशाह का मकबरा, जालौन, उत्तर प्रदेश की रूपरेखा योजना Contour Plan of Chaurasi Tomb of Lodhi Sah Badshah, Jalaun, Uttar Pradesh



चौरासी गुबंद-लोधी शाह बादशाह का मकबरा की संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की सीमाओं को दर्शाने वाली ऑर्थोमौजाईक कार्य-स्थल योजना Orthomosaic Site Plan Showing the Boundaries of Protected, Prohibited and Regulated Areas of Chaurasi Tomb of Lodhi Sah Badshah



# चौरासी गुबंद-लोधी शाह बादशाह का मकबरा का संरक्षित क्षेत्र दर्शाने वाली ऑर्थोमौजाईक कार्य-स्थल योजना Orthomosaic Site Plan Showing the Protected Area of Chaurasi Tomb of Lodhi Sah



Superintending Archaeologist

# मूल अधिसूचना की टंकित प्रति

# **Typed copy of Original Notification**

#### **Government of United Provinces.**

Public Works Department. Buildings and Roads Branch.

Dated Allahabad, the, 22<sup>nd</sup> December, 1920.

No. 1645-M/1133.- In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (3) of the Ancient Monuments Preservation Act (VII of 1904), His Honor the Lieutenant-Governor is hereby pleased to confirm this department notification no. 1412M, dated the 18<sup>th</sup> November, 1920, published at pages 1951-1885 of Part I of the United Provinces Gazette, dated the 20<sup>th</sup> November, 1920, so far as it relates to the undermentioned monuments and to direct that the protection of the remaining monuments is not confirmed as they are either already protected monuments or their protection is not considered necessary.

By order,

A. C. Verrieres, Secretary to Government, United Provinces.

Sl. No.	Name of Monuments	District	Situation Locality	Village	East	Bou West	nded by North	South
1.	European Cemetery	Moradabad	At Moradabad, with an area of 2.53 acres		Road	Moradabad- Meerut road and waste land owned by Govt.	The compound of the building formerly used as the Officers Mess, United Provinces Police.	Moradabad Meerut road and waste land owned by Government
2.	Well or Baoli known as Dah-ka- Kuan.	Do.	In Amroha, 19 miles north west of Moradabad					
3.	Juma Masjid		At Sambhal					
4.	Chaurasi Tomb of Lodhi Sah Badshah	Jalaun	Situated in the third furlong of the 51 <sup>st</sup> mile of the Kalpi Kanpur Jhansi and Saugor road	••	Field No. 151	Field Part No. 153	Part 1 No. 150	Pucca road no.273.

# प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में राजस्व मानचित्र और भूखंड भूमि के उपयोग का ब्योरा Revenue Map and Plot land-use details in the Prohibited and Regulated Areas

€- 176271

प्रेषक.

पंजीकृत

जिलाधिकारी, जालौन, स्थान–उरई

सेवा में,

निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली — 110001

पत्रांक - ६८८ / सात - भूलेख (पुरातत्व सम्पत्ति)

दिनांक: मई, २४, 2023

विषय – राष्ट्रीय संस्मारक चौरासी गुम्मद, लोदीशाह बादशाह, कालपी के भूमि – अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 15—68/1एनएमए/एचबीएल—2021 दिनांक 03 मार्च 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद जालौन की तहसील कालपी क्षेत्र में स्थापित राष्ट्रीय संस्मारक " चौरासी गुम्मद कालपी" एवं उसके चारो ओर 300 मीटर की परिधि में आने वाले समस्त भू—खण्डों से सम्बन्धित अभिलेख एवं वर्तमान भौतिक जानकारी उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। जिसके कम में तहसीलदार कालपी द्वारा वांछित अभिलेख यथा खतौनी, राजस्व नक्शा एवं भूमि का गाटासंख्यावार स्वामित्व एवं भौतिक विवरण उपलब्ध कराया गया है।

अतः तहसीलदार कालपी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, चौरासी गुम्मद कालपी एवं उसके चारों ओर 300 मीटर की परिधि में आने वाले समस्त भूखण्डों के राजस्व अभिलेख — नक्शा, खतौनी एवं भूमि का गाटासंख्यावार स्वामित्व एवं भौतिक विवरण संलग्न कर प्रेषित है। कृपया प्राप्त करने का कष्ट करें। संलग्न — उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एस०के०पाण्डेय) अपर भूलेख अधिकारी जालौन, स्थान उरई।



# कार्यालय तहसीलदार, कालपी (जालौन)

पत्रांक- 54 / रा0नि0(कार्या0)

दिनांक::मई 14 ,2023

विषय- राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, भारत सरकार के उपयोगार्थ, चौरासी गुम्मद कालपी के अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

अपर भूलेख अधिकारी, जालौन स्थान उरई।

महोदय,

कृपया कार्यालय जिलाधिकारी, जालीन स्थान उरई के पत्रांक-659/ सात-भूलेख (पुरातत्व सम्पत्ति) दिनांक मई 09, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण की कृपा करें जिसके द्वारा तहसील कालपी क्षेत्र में स्थापित राष्ट्रीय स्मारक "चौरासी गुम्मद कालपी" एवं उसके चारों ओर 300 मीटर की परिधि में आने वाले समस्त भू—खण्डों से सम्बन्धित अभिलेख व वर्तमान भौतिक जानकारी उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः चौरासी गुम्मद कालपी एवं उसके चारों ओर 300 मीटर परिधि में आने वाले समस्त भू—खण्डों के राजस्व अभिलेख— नक्शा, खतौनी की प्रति सहित निर्धारित प्रारूप पर पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।



# इन्तरवाब खतीनी नान जेड ए

स्वारपूर परगना कालपे तहसीस कालपी जिला - जासेन सन् पर 14-28	
नाम कारतकार मम विल्यत स्था सिपदत सम्या स्कना एमान निनास स्थान कास्त नान्य हेनटेगर कादी जिन्ही विनर	
रें बेबर रवाता - राज्य सरकार की सक्पति	
वेरा -115(2) रयल यउँके रोले अवन भीर रोसी इसरी अक्रियों जी	
स्मित उपमेश में लाई जारी हों	
6- 3/212A JIFA3 - 290 0.947	Configuration approximent
ZICH BARAY	
सरकारी कार्च हेट	
25-09-2023	
्रोः <b>जयनीर रि</b> ष्ट सेखपाल-कालपी सदर	
तह०=कार्लपी	

# इन्तरवाव खतीनी नान जेंड ए

भीजा-	लगर पुर - परगना कालपो तहसील कालपो जिला - जाल न सन् फ्रांट-1428
खारा खतीनी खैं	नाम कार्यकार मम वाल्यत स्था सिददत रूप्ता स्कल स्थान स्थान कार्य स्थान कार्य हेन्द्रेगर कारी जिन्ही जिन्ह
	2 3 4-
	खतीनी आग-1 चर्ना- १५ वन विभाग के प्रबन्ध में जर्म- १५ (३) ख - इसे वन जिसमें अन्य प्रकार के व्यम
4	वन 337 2.072
	सारम प्रतिनिर्मि सरकारी कार्य हे हु विकास कार्याम कार्या स्वर तह० कार्या

# इत्याब खतोंनी नान जेड ए

खाता खतीनी स्मृं	लगार पुर परगमा कालपी तहसील कालपी जिला- जालीन सन् का 1428 काशतकार मुख बल्धित तथा विद्वत खंसरा रक्का लगान विद्यत निवास स्थान कास्त नम्बर हेक्टयर नगदी जिल्ही
1	2 3 4 5 6 74 2
	श्रोनी भाग-1 राज्य के वन विभाग के प्रबन्ध में है।!— वर्ग 14(3) अन्य कार्षि योग्य वंजर भूमि
14	वन —— 33 <b>7</b> 3.056 — ——————————————————————————————————
:	339 2·3·6 340 1·384 341 3·925 342 3·723
	6 Post 19.347 20
	स्रात्यप्रतिलिपि इन
	10-05-2023

# इन्तरवाव खतीनी नान जैड ए

स्थाप्त अस्ति	नाम कारतकार मय विल्यत स्या निवास स्थान	सपदत कास्त	स्यस्या	स्कवा	C.B.	There 1	
	1	-	नम्बर्	हेनहेमर	कादी	बिन्हा	विवर् ः
,		- 3	4-	5	6	7	8
	<u>श्वतीनी</u>						1
	खेवर- सार्वजनिक निर्मा	ां वि	भाग Р	W.D a	99-	ब में	tr X
	वम 15(2) रूथल सड़	रेल्वे	अविन	स्नादि	-	A second pro-	
11	कच्ची सड़्ड	-	335	1.716			4
	Propingues as a second				41-14 (F)	-	
A contract of	वर्ष 15(4) उनन्य कारणों	से आब	विक व	nth		-	
12	पटरी सड़क	METER WATER					*
1	1011 (19-5)		334	1.881			X
*	194111111111111111111111111111111111111	77.70		3.646-	111111111111111111111111111111111111111		
1		-	_	Q 676	de la constitución de la constit		
	- 000	- in a second	an and an		10		
- Au	साट्य प्राटि लिपि	Ver et real conversion	10 m		ACT (BRID + CL) & cry		
-	सरकारी कार्य हेता।	(The face very taxable)	1		See and Control of the solid		# 1
	Lud		1				
	7	5-202	7				

	F			
200	राजस्य ज्याम	भुग्वठड सर्	अस्वामी का जाम बीवरा	
040	क्या नाम	जारा मंग	ति का वीक	उतमाश -
8-	०भेगर पुर	2-41	<i>जाञी</i>	मानी
-6	<i>ज्यारपुर</i>	268	(i) कुला पुत्री रामनरायन पत्नी नरेन्द्र व्यव	चेद्रीत प्रम रखं
		to a constant	(11) अनुरुद्ध सिंह पुत्र पुरुष्टिए (111) व्यक्तेन्द्र सिंह पुत्र प्रेमिस्ट	वृति
10-	जगरतर	269	जाव्यी	লালী
11-	<u>८५</u> 215.वैर	266	<i>ज्यान</i>	ना ली
12-	01215. तैर	255	(1) उभा द्रीकर प्रम जननमध्य	क्षि
13-	4216.25		(i) भेठातानदास पुत्र कोटेनाव (ii) अज्ञाय पुत्र जाल किश्चन (vi) निजम पुत्र त्याल किश्चन (v) निजम पुत्र त्याल किश्चन (vi) जुसुभ पत्नी स्वक त्याल किश्चन	कृषि :
14.	ज्यद्विर	253	नवीन परवी	परती
15-	(मेडारपुर	250	))) हीरात्वन्द्र पुत्र प्रभुद्भाव	मू पि
16-	<i>७</i> नेशरपुर	251	ं) शहीद्यमं पुरा श्वादिखां १) वहीद्र कां पुराश्मीद्र खां १ं) भुरु तमीजन क्षा पत्नी स्व० प्यीद खां	<i>ज्</i> रू <sup>रें</sup>
12-	(भेशस्युर	249	प्रभादिता की तरभसीत	कृषि
18-	ज्यद्वेर	0 =	व्रभद्भाव पुत्र परमणुख	व्यक्ति
19	OPINEDE	96	(1) भ्रहम्मद (भठलान पुत्र एजा भ्रहम्मद (जा भ्रहम्मद	For Line

900 Ho	दायस्य ज्याम	अखिला सं	अस्वामीका नाम व विवा/	
-2	DI allt	अगटा संव	पित का नाम :	उपमात्र —
7-	अश्राद देर	240	न्येरासी गुंबन	समीरक
2-	लंगरपुर	243	मंडक	-यकरोड
3-	संगर पुर	268	ग्रम्ह्या प्रती रामनारायन पत्नी नरेन्द्र सिंह	भेट्रोल पम्प स्वं कापि
	-		(ii) अनिरुद्ध सिंह 510 जैम सिंह (iii) ध्रमेन्द्र सिंह 510 जैम सिंह	^,
. 3-	2730भेगस्र	273	अग्रियाड/० हिन्दाल	कृषि
4.	०नेशरपुर	294	क्रिक्शन	काबिर गन
5-	भगारपुर	<b>এ</b> প5	प्रभादिती पुत्र प्रभादमाल (१) श्राक्षेट्य पुत्र प्रभादमाल (१) श्राह्येन पुत्र प्रभादमाल	कृषि स्वं परती भूमि
0	of शर पुर		(i) सुरुर्धन कुमार पुत्र हीराचन्द्र (ii) विसम कुमार पुत्र एंंं) विसम कुमार पुत्र एंंं) वसन्त कुमार पुत्र रोंं) राज्य कुमार पुत्र हीराचन्द्र एंं) नरेन्द्र कुमार पुत्र हीराचन्द्र एंं) नरेन्द्र कुमार पुत्र हीराचन्द्र	aft.
87	्रम्ब्रह्मयुर	242	क्षे भगवरी पुत्र वंशीखर (१) श्रमाम विहारी पुत्र वंशीखर ११) देवसारानी भटनी वंशीखर शिवशंकर	क्रिष

	+ 1	,	14	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
900	राजस्य भा	अर्थंन पंत	अन्यवामी की नाम व विवा	अभिका ब्रिमान से
440	क्या न्याम	असि सं	ति का जाम	अवसी भ
		36	(111) बिहम्मद दिसाल वैश	
			रता भुटम्भट	
		,	(11) मेहरुभट दसर्थ तैंग	
			दस्या मिष्ट्रभद	
			(1) मेहरभट अवराद तैंग	
-			दला ग्रेंटक्सद	
			(11) मेहरमद रिसवन त्रेम	
			रता महम्मद	
	*		ता वन्तुरम स्वर रसामिहरू	
20	अशदवर	246	<ul><li>ं) इरशाद को पुत्र भुन्ना को</li></ul>	
			(ii) जीशाद खों पत्र भुन्ना खों	क्राव
			(111) दिलशाद श्वी पुत्र भूतनी श्वी	
			(१) न्वींदर्श पुत्र भुन्ना स्वां	
			(१) दवीनवाब पुत्र भुन्ना स्वां	
	d		(11) म्निअदि प्रेश मिल्मा व्या	
21	01215.वर	3 dat	(1) फहनान भेटम्भद त्री	
			अन्माहीय रच्छा	न्तिष
		,	(11) अपन्यान पुत्र इलाहीनस्ट	
			(111) द्वान युज इलाहीबर्ट्य	
			(11) दक्याम देश हामाहीयस्क्रा	7
22~	<i>ज्ञारवर</i>	248	-चळभाजी	जर्गरोउ
23-	अंजरपुर	244	I with about that	
25	. 10	299	) महम्भद्र जल्लान दिश () महम्भद्र जल्लान	न्तरिय
			(11) महम्मद विकलम पुत	
			दला अहम्भद	
			(111) मिट्रमि रिस्साध त्रेश	
	,		न्या मंहरमद	
		1	(IN SLEEPHS EXIST RU	
			राजा अल्डमद	Fer (le)

950 440	-	अप्तिवड सि	भी या नाम व विश	अभि का ब्रिसल भ
24-	<i>्नेगर्तर</i>	299	त्या भेट्टभट (11) वस्पुरम तय्पु स्वा (11) भेट्टभट डिस्पाय तेथ (11) भेट्टभट अवधार तेथ (11) भेट्टभट अवधार तेथ	an 19
25-	ञ्गरपुर	234	East you word	a fu
26-	अञ्चलपुर	235	<i>रविमहान</i>	रवा ली भूगीम
27-	अंगरवैर	236	रविध्यान	खाली भूकी
28-	अंग्रहिर	214	इस्मान भ्रह्मान पुत्र प्रह्मान भ्रहम्मद पुत्र	व्यु वि
29-	१८४४ च	215	उत्पाम सिटम्मद उत्पाम सिटम्मद (11) के नगमा त्वापेच तेगी. ज्ञालपाम सिटम्मद भुजानपाम दिमुच तेग	न्त्र चि
30-	अंग्रहेंबर	216	211न भुट्टम्स पुत्र सफीमहमा	
31-	अश्वारवर	2127	-वक्रमाज	चकरीउ
32-	०भुगरतिर	218	त्रियोकी नराभन पुत्र	परती भूमि
33-	<i>ज्ञारवर</i>	219	-्यक्रमार्था	- च करोड़
34-	.भंगरपुर	220	(1) सद्देन कुमार पुत्र हीरानन (11) विजय कुमार पुत्र हीरानन्द्र (11) वस्तृ कुमार पुत्र हीरानेन्द्र	
			(14) रासिश अमर फुा हीरम्बन्न	(char)

900 Ho	्या नाम	अस्वन्डस निमादा	भून स्वामी का नाम व	अस्म का वर्षमान में उपमीत
		240	७) नरेन्ह कुमार फुा हीरानेन्ड (११) भीतेन्द्र कुमार पुत्र हीरानेन्ड	guestia and the same of the sa
	अग्रतिर	221	सारिकाराम युज कच्ची लाव	पेट्रील पर्प
36	ांगरपुर	6	भीअरी उदम्बीदेवी पत्नी	परती
	•	cii Ci	ा भुद्रश्रेन कुमार पुज ''हीराचन्द्र ii) विजमकुमार पुज हीराचन्द्र v) वसन्द्रकुमार पुज हीराचन्द्र	
		an	) पाँजेश कुत्रार पुज हीरानक ) जरेन्द्र कुमार पुज हीरान्यन ) ओजेन्द्र कुमार पुज हीरान्यन्द्र ) सुनील कुमार पुज प्रज्ञाप न्यन्	
37-	Markas	223 000 0113	दुरसेन कुमार पुत्र हीराचन्द्र भिजम कुमार पुत्र हीराचन्द्र नासन्य कुमार पुत्र हीराचन्द्र राक्षिया कुमार पुत्र हीराचन्द्र जोरन्द्र कुमार पुत्र हीराचन्द्र	न् <sub>रि</sub> षि
	-	an	भोगेन्द्र दोमार पुत्र हिरान्द्र	
38- U	म्यद्वेर 2	24	101/10	o Trail
39- (	भ्यारपुर ३२	5 A	भरी उदमभी देवी पत्नी श्रिवसाहन	कीत्वर्ग ढिला
40- 6	स्थारी इ	26 _	यक्रमण	न्य करोड
Ut G	न्यापुर ३३	at st	जीव्य कुमाट पुग प्रमापन्यन्त्र	सजिन दोंबा
42- 6	भंजरपुर 2	13 (1)	राभवाद्य पुत	परमी भीम, मीपड़ी रवं वारा भि

		1	1	1.
950	द्राप्तस्य भ	म अवंत्रण संव	भू-स्वामी का नाम व पित	ग अस का बरमान में
410	क्षाम ।	21121 समंद	पिका नाम	- अवन्त्रित -
20	36	213	(11) राजिश क्रमार पुग	परती भूति, झीपड़ी राव गा।
		-24	A005-1512404	2
			(॥) आयम क्रमार पुत्र	
	,		तेंटकर सरामण	
			त्राम मास्याल म्यासम् निस्ता	
			पत्नी शहिद आली	
			7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
43	- अग्रदिर	337	ॉन	न ज
	2			
44	- ७३१खर	338	<b>ा</b> न /	de
			Skil	
45				
45	जगरपट	339	GT-T	वन
-			1 )	
1.0	Comme			98
46	<i>७</i> भ्यारवेर	340	Col of	-/6/
47	एमारवुर		-	
( 1	3	341	del	92
			<u>}</u>	
48-	Arrive			
486	्कारवैर	342	det	वर्ग
			*	
49-	भंगरपुर	334	तिद्री संक्रेक (संडंक	राष्ट्रीय राजमार्ग
			1 118 2 C4120	1 2 10 10 10 1
50-	- अंगरपर		. ^	यादीय राजमार्ग
		335	मन्यी भड़क	X10214 X121411
				1
51-	अग्रहेंबर .			
010	3	336	र्रि भड़क	राङ्गेम राजमार्ग
			Tul 8	
	w # #			man)
	č Ii.		•	

प्रेषक,

पंजीकृत

जिलाधिकारी, जालौन, स्थान–उरई

सेवा में,

निदेशक, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली — 110001

पत्रांक — ६८८ / सात — भूलेख (पुरातत्व सम्पत्ति)

दिनांक: मई, २८, 2023

विषय – राष्ट्रीय संस्मारक चौरासी गुम्मद, लोदीशाह बादशाह, कालपी के भूमि – अभिलेख उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे।

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 15—68/1एनएमए/एचबीएल—2021 दिनांक 03 मार्च 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद जालौन की तहसील कालपी क्षेत्र में स्थापित राष्ट्रीय संस्मारक " चौरासी गुम्मद कालपी" एवं उसके चारो ओर 300 मीटर की परिधि में आने वाले समस्त भू—खण्डों से सम्बन्धित अभिलेख एवं वर्तमान भौतिक जानकारी उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। जिसके कम में तहसीलदार कालपी द्वारा वांछित अभिलेख यथा खतौनी, राजस्व नक्शा एवं भूमि का गाटासंख्यावार स्वामित्व एवं भौतिक विवरण उपलब्ध कराया गया है।

अतः तहसीलदार कालपी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, चौरासी गुम्मद कालपी एवं उसके चारों ओर 300 मीटर की परिधि में आने वाले समस्त भूखण्डों के राजस्व अभिलेख — नक्शा, खतौनी एवं भूमि का गाटासंख्यावार स्वामित्व एवं भौतिक विवरण संलग्न कर प्रेषित है। कृपया प्राप्त करने का कष्ट करें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

भवदीय

% १८१८ (१५०००) (१५५०के०पाण्डेय) अपर भूलेख अधिकारी जालौन, स्थान उरई।



# चौरासी गुबंद-लोधी शाह बादशाह का मकबरा, कालपी, जालौन, उत्तर प्रदेश का अभिलेखीय प्रलेखन इतिहास

# Archival Documentation - History of the Chaurasi Tomb of Lodhi Sah Badshah, Kalpi, Jalaun, Uttar Pradesh

Rs. 1,860, chimneys worth Rs. 1,708, looking-glass and panes worth Rs. 1,881, and miscellaneous articles worth Rs. 1,512, while from Lahore it imports Rs. 600 worth, of which Rs. 100 are buttons. Lahore last year imported Rs. 16,230 worth of glass; the place whence imported is not stated, and the total import is said to have been used locally, but the glass was probably European, and a great portion of it must have been distributed over the province. The import into Delhi is perhaps greater than that into Lahore, for the figures for Jullundur would seem to show that Delhi is the chief centre of the glass trade, but no import or export is mentioned in the report

While rough articles are good enough to suit the purposes for which the natives require them, large and small bottles will be in demand till European goods become cheaper, but the articles made here are not of a character to compete with imported goods. The manufacture of glass can only be effectively and economically carried on, on a large and permanent scale, for the cost of fuel is one of the largest items of expense, and this can be reduced only by the erection of proper furnaces. The small scale on which the industry exists in the Punjab, and the import of good and cheap ware, render any advance in the character or extent of the local industry unlikely, and unless vitality is imparted to it by the foundation of large works (of which there is no prospect), glassmaking will continue to exist as one of the unimportant industries of the province, for as long as there is a demand for such peculiarly native articles as the *churi* and the *chorpani* there is no fear of its extinction.

# CHAURASI GUMBAZ, KALPI, N.W. PROVINCES.

By Mr. Ed. W. SMITH, Architectural Assistant Archæological Surveyor N.W. Provinces.

Kâlpî is the principal town in the Jalâun District, lying on the right bank of the Jumna, and is some 22 miles from Oraī and 26 west from Jalâun. The remains of the ancient city stand on a steep and rugged cliff overhanging the river not far from the new station of the Indian Midland Railway. It is remarkable as the birth-place of Mahesh-dâs, a Brahman who afterwards, as Râja Bir-bar, became a companion and favourite of Akbar and lived at Fathpur Sikri. The western portion of the site is strewn with tombs and other ancient remains, by far the largest and most important among which is that known as the Chaurâsi Gumbaz (or eighty-four domes), and which stands on the south side of the main road leading from the city to Oraï and about  $3\frac{1}{2}$  miles from the railway station. It was erected as a mausoleum and contains several tombs, the two chief of which are beneath the large

Activate Win

Source - Journal of Indian Art, Volume 5. 1894. University of Minnesota Libraries, Ames Library of South Asia, umedia.lib.umn.edu/item/p16022coll189:3185

chamber in the centre of the building, and face north and south as is always the case with the graves of the Muhammadan dead in this country. They are of stone and are richly ornamented. Some say one is the tomb of Lodi Shah Badshah, whilst others aver that Sikandar Lodi lies buried here, but this is not so, as his body was interred at Delhi. As is generally the case with important buildings in India, the structure stands upon a stylobate, enclosed within a large quadrangle formerly surrounded by groined cloisters. Owing to defective construction and materials, the building is in a dilapidated condition (see Nos. 57 and 58). The walls are of red sandstone rubble packed with blocks of kankar laid in lime and mortar. On the outside they are coated with stucco cement, with the exception of the drip and corbel beneath, which are of stone. In design one façade is like another, save that the detail exception of the drip and corbet beneath, which are of stone. In design one largace is take another, save that the detail is varied. They are cut up by arches and piers transversed by horizontal string courses, and at the four angles are bastions. In the centre of the building is a large chamber 34 feet square, originally covered by a dome supported on pendentives. This chamber is surrounded by a double colonnade divided up into 40 small groined apartments by huge piers, connected by archways, and varying from 6 feet to 8 feet 6 inches square. The exterior piers are panelled and ornamented with rich designs worthy of study. A specimen of one is given on No. 59. It is from the upper part of a pier on the north side of the building. In height it is 3 feet 10½ inches, and in width 2 feet 9 inches. For external purposes, however, it is overdone, the detail being too fine and elaborate. The inner face is recessed some 11 inches from that of the wall, and is somewhat marred by the introduction of a broad horizontal band of mouldings dividing it into two portions, to the detriment of its height, and thereby giving it a stunted and dwarfed appearance. The upper portion of the panel is arched and elaborately ornamented. The tympanum beneath is decorated with a circular shield of an intricate geometric pattern, consisting of intersecting circles on a field of small rosettes. Encircling the tympanum is a pretty interlacing guilloche, and surmounting this a free and beautiful border of floral carving enclosed by two bands ornamented with chain and strawberry detail. The spandrils are richly carved, and are enclosed in an ornamented frame, slightly raised from the surface of the wall and studded with rosettes. The lower panels (No. 60) in the piers are plain and mostly devoid of ornament, and were it not for the play of light and shade caused by a series of receding reveals on each side of the panel they would appear anything but pleasing.

Above and below the panels are broad compound bands of ornament projecting about 15 inches from the walls, composed of chain, dog-tooth, and trefoil detail. The bastions at the angle of the edifice are richly ornamented, and that standing at the north-west angle is illustrated on No. 61. The lower portion is semi-circular, but some 7 feet from the ground level it assumes an octagonal form and, gradually tapering upwards, terminates in a ribbed and circular cap only half the diameter of the base. It is divided into four main portions separated by broad horizontal string courses, the upper being a continuation of the stone drip along the top of the facade, and which is made of thin slabs of stone cramped together and carried on a plain fascia supported on moulded corbels well pinned into the wall. The second and third storeys of the hastions are richly panelled, and the inner faces are utilized for a display of carved ornamentation which is raised and varied in design. The string courses (No. 62, figs. 1 and 2) are of stucco, and of delicate and intricate design, and on this account are quite unsuited for purposes of external decoration. The walls enclosing the central chamber are pierced by arched openings, and the face of the piers between are cut up by two horizontal bands of ornament separated by a space of 2 feet 1½ inches, in which are niches for lamps. The building is about 116 feet square outside exclusive of the corner minarets, and of considerable height. It may belong to the later part of the fifteenth century.

(No. 62, figs. 1 and 2) are of stucco, and of delicate and intricate design, and on this account are quite unsuited for purposes of external decoration. The walls enclosing the central chamber are pierced by arched openings, and the face of the piers between are cut up by two horizontal bands of ornament separated by a space of 2 feet 1½ inches, in which are niches for lamps. The building is about 116 feet square outside exclusive of the corner minarets, and of considerable height. It may belong to the later part of the fifteenth century.

No. 63 gives a detail of the bands and the recesses on the south side of the apartment. The niche or recess is arched, and the wall at the back ornamented with an interlacing floral pattern, the main lines of which are formed by four circles connected by a bow. Both the spandrils and tympanum are ornamented with patera: Other details of the string courses are shown on No. 64. They are divided into two portions, a plain and an ornamented one; the latter being decorated with an interlacing semi-circular arcaded pattern, arabesque in design. Fig. 3 is the most elaborate and is rather overdone. Over the arcading is a horizontal band of undulating leaf carving. Fig. 2 is more open and plain, and unrornamented at the top, but the ground is filled in with small raised rosettes. Fig. 4 is less elaborate than the others. In feeling the design is the same. The pattern is raised and stands on a plain field, enclosed by a narrow fillet slightly in advance of the ornament, and is enriched at the top by a well-cut guilloche moulding.

The roof is terraced, with small domes near the four corners, together with the great central dome which has risen from a large neck to a considerable height above the flat roof, and added to the massive appearance of the building; but this large dome is now fallen in.


Besides the Chaurasi Gumbaz there are at Kalpî the tombs of Madar Sahib, of Ghafur Zanjani, of Chol Bibi (a quadrangle surrounded by stone screens); at another "there is a statue of a lion which is assigned to a barber, and the lion is said to have been turned into stone when struck by the holy saint Madar Sahib." After numerous changes Kâlpi fell into the hands of Akbar, and was annexed to the Mughal Empire of Delhi, and it is said he had a mint here for the coinage of copper. High up on the bank of the Jumna is an old fort in which a few of the early buildings are extent. Descending from it on the west side to the river is a splendid flight of steps leading to an extensive bathing ghat and a small temple,

Kalpi was taken by the English in 1798, but was afterwards abandoned, and again occupied in 1803. In May 1858. Sir Hugh Rose defeated a large force of rebels here under the Rani of Jhansi. To the west of the fort is a Christian cemetery, in which lie the remains of many of our countrymen, and when the writer visited it some years ago he was much pained to find it ill-kept, uncared for, and generally in a most neglected and wretched

## LIST OF ILLUSTRATIONS.


52 to 56.—Designs on Tiles from the Afghan Boundary Commission. 57 to 64.—Chaurasi Gumbaz, Kâlpî, N.W. Provinces.

# मकबरा-चौरासी गुंबद का अभिलेखीय प्रलेखन Archival Documentation Plan of Chaurasi Tomb



Source - Journal of Indian Art, Volume 5. 1894. University of Minnesota Libraries, Ames Library of South Asia, umedia.lib.umn.edu/item/p16022coll189:3185

# अभिलेखीय प्रलेखन-मकबरा-चौरासी गुंबद का उत्थापन और खंड Archival Documentation - Elevation and Section of Chaurasi Tomb




Source - Journal of Indian Art, Volume 5. 1894. University of Minnesota Libraries, Ames Library of South Asia, umedia.lib.umn.edu/item/p16022coll189:3185

# संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्र के चित्र Pictures of the Monument and its Surroundings



चित्र 1: झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-27) से मकबरे का दृश्य Figure 1: View of tomb from Jhansi – Kanpur National Highway (NH-27).



चित्र 2: मकबरे का दक्षिण-पूर्वी परिदृश्य Figure2: Perspective South-East view of the tomb



चित्र 3: मकबरे के बाहरी भाग में दिख रहा मेहराबदार प्रवेश-द्वारों का दृश्य Figure 3: View of arched openings present on outer faces of the tomb



चित्र 4: संस्मारक की उत्तरी दिशा में दृश्य
Figure 4: View in the North direction of the monument.



चित्र 5: संस्मारक की दक्षिण दिशा में दृश्य

Figure 5: View in the South direction of the monument



चित्र 6: संस्मारक की पूर्वी दिशा में दृश्य Figure 6: View in the East direction of the monument



चित्र 7: संस्मारक की पश्चिमी दिशा में दृश्य
Figure 7: View in the West direction of the monument